

कार्यालय स्थायी लोक अदालत, जिला अमरोहा

-: कार्यालय विज्ञापित :-

पत्रांक सं० ३ / 2024, स्थायी लोक अदालत, अमरोहा / दिनांक 16.03.2024

जनपद अमरोहा में स्थित स्थायी लोक अदालत, डी.एल.एस.ए. बिल्डिंग, सिविल कोर्ट कम्पाउण्ड, जिला अमरोहा-244221 गठन किया जा चुका है और क्रियाशील हो चुकी है। उक्त स्थायी लोक अदालत के सुचारु रूप से संचालन हेतु जारी शासनादेश सं० 827/सात-न्याय-7-2014-47/2002 दिनांकित 11.11.2002 व शासनादेश सं० 02/2018/661/सात-न्याय-7-2018-47/2002 दिनांकित 30.01.2018 द्वारा आशुलिपिक, पेशकार एवं चपरासी की नियुक्ति हेतु स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि जिला न्यायालय अथवा कलेक्ट्रेट के सेवा निवृत्त कर्मियों को अधिकतम 2 वर्ष के लिए एक निर्धारित मानदेय पेशकार हेतु 9000/-, आशुलिपिक हेतु 9000/- तथा चपरासी हेतु 7000/- प्रतिमाह पर अनुबन्धित कर कार्य कराया जायेगा। आवेदक की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। सेवा के दौरान किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर सेवा अनुबन्ध बिना किसी पूर्व सूचना दिये बगैर समाप्त कर दिया जायेगा। प्रत्येक का एक एक पद एवं नियत मानदेय पर किया जाना है।

क्र० सं०	पद का नाम	नियत मासिक मानदेय
01	पेशकार	दीवानी न्यायालय/कलेक्ट्रेट न्यायालय के सेवा निवृत्त कर्मचारियों से रू० 9000/- नियत मासिक मानदेय पर
02	आशुलिपिक	दीवानी न्यायालय/कलेक्ट्रेट न्यायालय के सेवा निवृत्त कर्मचारियों से रू० 9000/- नियत मासिक मानदेय पर
03	चपरासी	दीवानी न्यायालय/कलेक्ट्रेट न्यायालय के सेवा निवृत्त कर्मचारियों से रू० 7000/- नियत मासिक मानदेय पर

उपरोक्त पदों हेतु उपरोक्त योग्यता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थीगण से निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 03.04.2024 समय 5:00 बजे तक आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। आवेदन का प्रारूप स्थायी लोक अदालत, जिला अमरोहा के कार्यालय में, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के वेबसाइट (<http://allahabadhighcourt.in>) पर तथा जनपद न्यायालय अमरोहा की ई-कोर्ट अमरोहा पर विज्ञापन सहित उपलब्ध है। अभ्यर्थी अपने आवेदन को कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में व्यक्तिगत उपस्थित होकर जमा करा सकते हैं। अंतिम तिथि के उपरान्त किसी भी प्रकार के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे

उक्त से सम्बंधित जानकारी स्थायी लोक अदालत के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

नोट- आवेदन प्रारूप संलग्न है।

अध्यक्ष

ओमबीर

स्थायी लोक अदालत

जिला अमरोहा

स्थायी लोक अदालत

जनपद-अमरोहा

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- श्रीमान सदस्य सचिव, उ० प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ
- 02- श्रीमान सेण्ट्रल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर(कम्प्यूटर) माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को अनुरोध सहित वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में सादर प्रेषित।
- 03- श्रीमान जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला अमरोहा।
- 04- श्रीमान जिलाधिकारी अमरोहा को अनुरोध सहित नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु प्रेषित।
- 05- उपजिलाधिकारी अमरोहा को अनुरोध सहित नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु प्रेषित।
- 06- जिला सूचनाधिकारी, अमरोहा को समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क चरणबद्ध प्रकाशन हेतु।
- 07- प्रभारी अधिकारी(कम्प्यूटर अनुभाग) को संलग्न विज्ञापित न्यायालय जनपद अमरोहा की वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
- 08- अध्यक्ष/सचिव, बार एसोसिएशन एवं जिला बार एसोसिएशन अमरोहा को सूचनार्थ हेतु।
- 09- केन्द्रीय नाजिर जिला न्यायालय अमरोहा को जिला न्यायालय के नोटिस बोर्ड आदि पर चस्पा कराये जाने हेतु।
- 10- नाजिर सदर जिला कलेक्ट्रेट अमरोहा को इस आशय से प्रेषित कि जिला मुख्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु।
- 11- एन.आई.सी. अमरोहा को संलग्न विज्ञापित जनपद अमरोहा की वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।

अध्यक्ष

ओमबीर

स्थायी लोक अदालत

जिला अमरोहा

स्थायी लोक अदालत

जनपद-अमरोहा

02 APR 2024

स्थायी लोक अदालत, अमरोहा

पत्र सं०:-26/2024 स्थायी लोक अदालत अमरोहा/ दिनांक 14/03/2024

प्रेषक,

ओमबीर

अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत,

जनपद अमरोहा

प्रापक,

जिला सूचना अधिकारी

सूचना विभाग, जनपद अमरोहा

विषय- स्थायी लोक अदालत के संचालन हेतु सेवानिर्वत कर्मचारी आशुलिपिक व पेशकार के पद हेतु नियुक्त किये जाने के संदर्भ में प्रेस नोट न्यूज पेपर में निःशुल्क प्रकाशन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि उ० प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद अमरोहा में गठित स्थायी लोक अदालत के कार्यालय/ऑफिस संबन्धी कार्य करने हेतु जिला दीवानी न्यायालय एवं कलैक्ट्रेट न्यायालय के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पूर्व पत्र संख्या 2740/एस.एल.एस.ए. - 5/2002 दिनांक नवम्बर 26, 2018 तथा शासनादेश संख्या 827/सात -न्याय -7 -2014 -47/2012 दिनांक 11.11.2002 व शासनादेश संख्या 02/2018 /661 /सात -न्याय -7 -2018 -47/2002 दिनांक 30.01.2018 द्वारा नियत मासिक मानदेय पर एक पद पेशकार व एक पद आशुलिपिक (सेवा निवृत्त) नियत मानदेय 9000/-रु० तथा एक पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (सेवा निवृत्त) नियत मानदेय 7000/- रु० पर नियुक्ति समयावधि दो वर्ष के अनुबन्ध पर साक्षात्कार द्वारा नियुक्त किये जाने के हेतु आवेदन आहूत किये जा रहे हैं। आवेदक की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। सेवा के दौरान किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर सेवा अनुबन्ध बिना किसी पूर्व सूचना दिये बगैर समाप्त कर दिया जायेगा।

-: आवेदन प्रारूप :-

- 1-पद का नाम (जिस के लिये आवेदन किया जा रहा है).....
- 2-नाम.....
- 3-पिता का नाम.....
- 4-निवास का स्थायी पता-.....
- 5- मोबाईल संख्या(प्रमाण पत्र संलग्नक करें)
- 6- जन्मतिथि -.....(प्रमाण पत्र संलग्नक करें)
- 7- शैक्षिक योग्यता(प्रमाण पत्र संलग्नक करें)
- 8- अनुभव यदि कोई हो तो स्पष्ट करें.....(प्रमाण पत्र संलग्नक करें)
- 9- आचरण -.....(प्रमाण पत्र संलग्नक करें)
- 10-पद का नाम (जिस पद से सेवा निवृत्त हुए हैं).....
- 11-सेवा निवृत्त का दिनांक -.....माह.....व वर्ष.....
- 12-विभाग का नाम व पूरा पता (जहाँ से सेवा निवृत्त हुए हैं).....
- 13-पूर्ण सेवाकाल के दौरान किसी प्रकार का दण्ड प्राप्त हुआ है अथवा नहीं(इस आशय का शपथपत्र भी प्रस्तुत करें कि मेरे विरुद्ध पिछले पाँच वर्षों में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं हुई है और न ही लम्बित हैं).....

यदि दण्डित किया गया है तो लिखित विवरण प्रस्तुत करें

(नोट - आवेदन के साथ डाक टिकट लगे दो लिफाफे होने चाहिये, तथा आवेदन के साथ लगे प्रपत्र स्वः हस्ताक्षरित होने चाहिए तथा यह भी निर्देशित किया जाता है कि आवेदन प्रकाशन तिथि से 20 दिवस के भीतर कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमरोहा को प्राप्त हो जाने चाहिए, उसके पश्चात कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

दिनांक -

स्थान -

आवेदक के पूर्ण पठनीय हस्ताक्षर

तथा पूर्ण पते सहित

अतः आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्त प्रेस नोट का प्रकाशन सभी न्यूज पेपर में निःशुल्क कराने का कष्ट करें।

सधन्यवाद

दिनांक - 14.03.2024

ओमबीर 14.03.24

अध्यक्ष,

स्थायी लोक अदालत,

जसमदी अमरोहा अदालत

जनपद-अमरोहा